## भारतीय संविधान के सामाजिक आर्थिक आधार तत्व

भारतीय संविधान की उद्देशिका भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती है। उद्देशिका की यह भावना है कि सभी लोगों को, जिनमें कामगार भी शामिल हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय मिले। संविधान की उद्देशिका, संविधान के भाग 3 में समाविष्ट मूल अधिकार तथा भाग 4 के निदेशक तत्व ये सभी एक साथ मिलकर संविधान के मूलभूत मूल्यों तथा आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करते हैं। उद्देशिका में वर्णित व्यक्ति की गरिमा के आश्वासन को भाग 3 और भाग 4 के विभिन्न उपबंधों के द्वारा लागू करने का प्रयास संविधान निर्माताओं द्वारा किया गया है। प्रस्तावना आदर्शो की एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी संरचना में भारतीय समाज को ढालना एवं इसका समाजीकरण करना है। भाग 3 और विशेष रूप से भाग 4 इसके सामाजिक और आर्थिक आधार तत्वों को स्थापित करती है। भाग 3 मुख्यतः व्यक्ति के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को चिन्हित करती है। संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व राज्य के शासन हेतु मौलिक तत्व हैं तथा संविधानिक प्रावधानों द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि विधि निर्माण में इन सिद्धांतों का कियान्वयन राज्य का दायित्व होगा।

राज्य के भविष्य के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्व कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तावना में वर्णित आदर्शों की पूर्ति नीति निर्देशक तत्वों के जीवन्त कियान्वयन द्वारा ही किया जा सकता है। ये तत्व समाज के गतिशील मूल्य हैं तथा समाज की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को आधार प्रदान करते हैं। जबकि मौलिक अधिकारों में सम्मिलित आदर्श स्थायी हैं। ये एक विशेष सामाजिक आर्थिक स्तर सम्पन्न नागरिक के लिए अधिक सार्थक होते हैं लेकिन जहां विपन्नता सर्वत्र व्याप्त हो ये अधिकार अर्थहिन हो जाते हैं।

मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र और निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक के तौर पर शासन के लिए ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का आधार तैयार करते हैं, जिनको पूरा करके ही भारतीय समाज अपने संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है।

## मौलिक आधार

मूल अधिकारों के अंतर्गत कुछ प्रावधान जैसे समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15 राज्य और जनता दोनों के लिए यह प्रतिषेध करता है कि वह किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थल के अधार पर विभेद न करे। वह घोषणा करता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या सार्वजनिक कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के बारे में किसी प्रकार का प्रतिषेध स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही इस अनुच्छेद के

उपबंधों के अंतर्गत राज्य को क्रमशः स्त्रियों तथा बच्चों के लिए और सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के कुछ वर्गो की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार भी देते हैं। अनुच्छेद 16 के खंड 1 तथा 2 के अधीन भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबधित विषयों में अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन यहां भी सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए राज्य द्वारा विशेष व्यवस्था करने की बात की गई है जो समानता के सिद्धांत के साथ असंगत न हों। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इस प्रकार के आचरण का निषेध करते हुए यह प्रावधान करता है कि विधि के अनुसार इसे दण्डनीय अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किए जाने सभी प्रावधान भी राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से राज्य द्वारा उपाधियां देने के व्यवहार का निषेध करता है। किन्तु सेना तथा विद्या संबंधी विशिष्ट मामलों को इसमें अपवाद माना गया है। हालांकि विशेष क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को राज्य द्वारा दिए जाने वाले नागरिक सम्मान भी कई स्थगनों के बाद अब मान्य हो गए हैं।

## निदेशक तत्व

निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 और 45 आदी राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए विशेष प्रावधान करने का निर्देश देते हैं। नीति निदेशक तत्व राज्य के सकारात्मक कर्तव्य हैं जिनका भार सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए राज्य पर डाला गया है। अनुच्छेद 38 में निदेशक सिद्धांतों का सार तत्व परिलक्षित होता है। इसमें संविधान की प्रस्ताावना की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। राज्य को ऐसी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का निर्देश देता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता हो तथा आय की असमानता कम हो। निदेशक सिद्धांतों में कहा गया है कि राज्य प्रत्येक स्त्री पुरूष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पति और उत्पादन के साधनों को केन्द्रियकरण न हो। पुरुषों और स्त्रियों, दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थय तथा शक्ति का और बच्चें की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। राज्य छः वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख एवं शिक्षा के लिए प्रावधान करेगा।(अनुच्छेद 45) राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधनी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा

करेगा।(46) राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा और मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के, औषधीय प्रयाजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।(47) राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए के कदम उठाएगा।**(48)**

भारतीय संविधान के भाग तीन और भाग चार में वर्णित अधिकारों और कर्तवयों का यह समन्वय एक लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। जो व्यक्तियों के व्यक्तिगत हितों की रक्षा करते हुए उद्देशिका में निर्धारित लाकतंत्रात्मक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्राप्त करने की व्यवस्था करता है तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करता है। न्यायमूर्ति के. एस. हेगड़े के शब्दों में **मूल अधिकारों का प्रयोजन एक समतामूलक समाज का सृजन करना है, जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक प्रपीड़न अथवा प्रतिबंध से मुक्ति मिले और सभी को स्वतंत्रता सुलभ हो। जबकि नीति निदेशक तत्वों का प्रयोजन कतिपय सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अहिंसक सामाजिक कांति का सूत्रपात करना है। ऐसी सामाजिक कांति के द्वारा संविधान आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और हमारे समाज के सांचे ढांचे को बदलने का प्रयास करता है। इसका लक्ष्य भारतीय जनता को सही अर्थों में स्वतंत्र बनाना है।**